

  
भारत का राजपत्र  
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (i)

PART II—Section 3—Sub-section (i)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 364]

No. 364]

नई दिल्ली, सोमवार, मई 23, 2016/ज्येष्ठ 2, 1938

NEW DELHI, MONDAY, MAY 23, 2016/JYAISTHA 2, 1938

कारपोरेट कार्य मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 23 मई, 2016

सा.का.नि. 539(अ).—केंद्रीय सरकार, कंपनी सचिव (क्वालिटी पुनर्विलोकन बोर्ड की बैठकों की प्रक्रिया और बोर्ड के अध्यक्ष तथा सदस्यों की सेवा के निबंधन और शर्तें तथा भत्ते) नियम, 2006 के नियम 8 के उपनियम (1) के साथ पठित कंपनी सचिव अधिनियम, 1980 (1980 का 56) की धारा 29क द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग करते हुए भारत के राजपत्र में प्रकाशित, भारत सरकार, कारपोरेट कार्य मंत्रालय की अधिसूचना सा.का.नि. संख्यांक 490(अ) तारीख 13 जुलाई, 2007 में निम्नलिखित और संशोधन करती है, अर्थात् :-

2. उक्त अधिसूचना में, क्रम संख्यांक (3) और उससे संबंधित प्रविष्टियों के स्थान पर निम्नलिखित क्रम संख्यांक और प्रविष्टियां रखी जाएंगी, अर्थात् :-

"(3) श्री त्रिथ्याथिल कूरियन,  
महानिदेशक (वाणिज्यिक-1)  
भारत के नियंत्रक-महालेखापरीक्षक का कार्यालय  
9, दीनदयाल उपाध्याय मार्ग,  
नई दिल्ली - 110124

—सदस्य।

3. यह अधिसूचना, राजपत्र में प्रकाशन की तारीख को प्रवृत्त होगी।

[फा. सं. 3(4)/प्रकीर्ण/2015-पीआई]

के. वी. आर. मूर्ति, संयुक्त सचिव